डेटा सेंटर से करोड़ों के निवेश की उम्मीद

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

यूपी डेटा सेंटर का हब बनने की ओर है। लगातार आ रहे निवेश प्रस्तावों को देखते हुए डेटा सेंटर पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब नोएडा के बाहर दूसरे जिलों में भी डेटा सेंटर खुल सकेंगे। कम क्षमता के डेटा सेंटर को भी सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए नीतियों में बदलाव कर उन्हें सहूलियतें देने का रास्ता खोल दिया गया है। प्रदेश में 8 डेटा सेंटर खुलेंगे। इससे 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

डेटा सेंटर पॉलिसी-2021 के तहत प्रदेश में 250 मेगावॉट का डेटा सेंटर व 10 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। जबकि, पॉलिसी के तहत डेढ़ साल में ही 636 मेगावॉट के डेटा सेंटर व करीब 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। तीन डेटा सेंटर खोलने का प्रस्ताव था जबकि कुल 6 सेंटर के प्रस्ताव आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए, नीति में बदलाव कर अब 8 डेटा सेंटर खोलने और 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश कर लक्ष्य तय किया गया है। सरकार नए डेटा सेंटर को भी जमीन के लिए सब्सिडी देगी और दोहरे फीडर में एक का खर्चा खुद उठाएगी।

प्रदेश में 5 और नए सेंटर ऑफ ऐक्सिलेंस खुलेंगे : स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 में संशोधन किया गया है। नीति के तहत प्रदेश में 5 और सेंटर ऑफ ऐक्सिलेंस खुलेंगे। ये सेंटर क्वांटम कंप्यूटिंग, 3-डी प्रिंटिंग, 5जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक जैसी नए क्षेत्रों में खोले जाएंगे। सरकार 10 करोड़ रुपये हर सेंटर के लिए मदद करेगी। अपर मुख्य सचिव आईटी अरविंद कुमार ने बताया कि नीति के तहत स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे।

स्टार्टअप्स के लिए भरण भोषण पत्ता भी 15 हजार रुपये महीने से बढ़ाकर 17,500 रुपये महीने कर दिया गया है। कैपिटल सब्सिडी भी 5 लाख रुपये से बढ़कर 7.50 लाख हो गई है। पॉलिसी के तहत अब प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी अब 5 लाख रुपये का अनुदान मिल सकेगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

कैबिनेट के फैसले

पॉलिसी में संशोधन, 8 सेंटर खुलेंगे, 30 हजार करोड़ रुपये हुआ निवेश का लक्ष्य

योगेंद्र उपाध्याय (उच्च शिक्षा मंत्री), सुरेश खन्ना (वित्त मंत्री) और नंद गोपाल नंदी (औद्योगिक विकास मंत्री) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

नोएडा में ₹7,100 करोड़ से अधिक का होगा निवेश

नोएडा में आईटी व डेटा सेंटर में 7,100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। कैबिनेट ने आईटी पॉलिसी 2017 के तहत तीन आईटी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव व इंसेंटिव को मंजूरी दे दी है। वहीं, दो कंपनियां डेटा सेंटर भी लगाएंगी। आईटी पॉलिसी के तहत माइक्रोसॉफ्ट 2,186 करोड़, एमएक्यू 483 करोड़ और पेटीएम 638 करोड़ का निवेश करेगा। इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस निवेश के जरिए 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

तीन और निजी विवि खोले जाएंगे

कैबिनेट ने प्रदेश में तीन और निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें जेएसएस विश्वविद्यालय नोएडा, एसडी सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़-फरुखाबाद और एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद शामिल है। प्रदेश में अब तक 30 से अधिक निजी विवि खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

- सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए सिंचाई विभाग की 0.8460 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को दी जाएगी
- वाराणसी में एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय के लिए जमीन की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी
- यूपीआरएनएन की 137 परियोजनाएं जो वित्तीय अनियमितता में जांच की वजह से रुकी थीं उनको पूरा किया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्कों पर ₹50 करोड़ तक की सब्सिडी

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा के लिए नए औद्योगिक नीति में सहूलियतों व सब्सिडी के दायरे में व्यापक विस्तार किया गया है। 100 एकड़ से अधिक के निजी औद्योगिक पार्कों पर 50 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी अनुदान का दायरा बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी है।

नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी के चार विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा भी छूट दी जाएगी। एकल रिसर्च व डिवेलपमेंट इकाइयों को और बौद्धिक संपदा अधिकार देने के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी, जो निवेश के 25% की सीमा के अधीन होगा।

बेसिक के डीजी माध्यमिक के भी मुखिया होंगे

बेसिक शिक्षा विभाग में गठित महानिदेशक स्कूल शिक्षा के दायरे में अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी आएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीजी दोनों निदेशालयों के बीच समन्वय, प्रस्तावों, सूचनाएं शासन को भेजने, वित्तीय स्वीकृतियों की निगरानी, भर्ती प्रक्रियाओं के संपादन, शैक्षिक-प्रशिक्षण कैलेंडर, बोर्ड परीक्षाओं में सुधार व पर्यवेक्षण, निदेशक माध्यमिक की गोपनीय आख्या तैयार करने सहित अहम काम करेंगे।

ऐक्सिलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए भी परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद की जाएगी। निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

देसी शराब के लिए अब शीरे का आरक्षण 20 फीसदी

■ **एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :** शासन ने देसी शराब बनाने के लिए डिस्टलरियों को आरक्षित शीरे में वृद्धि की है। 2021-22 की शीरा नीति में देसी शराब की डिस्टलरियों के लिए 18 फीसदी शीरे के आरक्षण का प्रावधान था, जिसे 2022-23 में बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। गुरुवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2022-23 के लिए नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी गई। शीरा वर्ष की गणना एक नवंबर से 31 अक्टूबर तक होती है।

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भुसरेड्डी ने बताया कि पहले शीरा नीति के तहत देसी शराब की डिस्टलरियों के लिए 12.50 फीसदी शीरा आरक्षित था, जिसे बाद में बढ़ाकर 16 फीसदी किया गया था। 2019-20 की शीरा नीति में सरकार ने इसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया था। फिर 2020-21 में इसे 17 फीसदी और 2021-22 में 18 फीसदी किया गया था। बताया कि 2022-23 में यहां अनुमानित शीरा उत्पादन 753.33 लाख कुंतल है।